

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/रिव्यु डीपीसी-डीपीसी /2018-19/ 2018 दिनांक-07.06.18 के द्वारा रिव्यु डीपीसी में वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनोपरान्त व्याख्याता हिन्दी के पद पर पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श शिविर में श्रीमती बेला सिसोदिया द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर राउमावि जाबला उदयपुर में पदस्थापन आदेश जारी कर दिनांक-14.06.18 तक कार्यग्रहण करने के निर्देश प्रदान किये गये ।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती सिसोदिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं. 16928/18 दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक-03.08.18 को निर्णय पारित करते हुए याचिकाथिया को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का सकारण स्पीकिंग ऑर्डर के जरिये निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये ।

माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता पूर्वक अध्ययन किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय पद है, जिसको विभाग छात्रहित एवं राज्य हित में किसी भी विद्यालय में पदस्थापित कर सकता है । कार्मिक का डीपीसी चयनोपरान्त पदस्थापन काउंसिलिंग के द्वारा उपलब्ध रिक्तियों में से उनके स्वयं के चयनित विद्यालय में किया गया ।

अतः प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है ।



(नथमल डिंडेल)


आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/को.के/या.सं. 16928/18/बेला सिसोदिया
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 13-2-19

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/डीपीसी-16-17/पदस्थापन/2016 दिनांक 16.07.2016 द्वारा नीलकमल जोशी व0अ0 राउमावि मंगलपुरा, पोकरण-जैसलमेर से पदोन्नति पर पदस्थापन राउमावि रामदेवरा-जैसलमेर में काउंसलिंग से किया गया था।

नीलकमल जोशी के द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/डीपीसी-16-17/पदस्थापन/2016 दिनांक 16.07.2016 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका दायर की गई। जिसमें याची ने गुहार की कि मेरी काउंसलिंग के समय पोकरण में रिक्त पद नहीं दर्शाया गया था। जबकी 29.08.16 से 31.08.2016 के मध्य आयोजित की गई काउंसलिंग में राउमावि पोकरण, जैसलमेर में रिक्त पद उपलब्ध था। अतः याची को पोकरण में पदस्थापन नहीं मिला और याची को राउमावि रामदेवरा, जैसलमेर का विकल्प देना पड़ा। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने एस.बी. याचिका सख्या 16157/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 द्वारा याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण का निर्देश दिया। याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में स्पष्ट है कि याचिकार्थी द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान स्वैच्छा से पदस्थापन लिया है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी उपलब्ध रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल किया जाये। काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों का निर्धारण विभागीय आवश्यकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है। याची द्वारा राउमावि रामदेवरा, जैसलमेर में कार्यग्रहण कर लिया गया है और दिनांक 18.07.2016 से उक्त विद्यालय में कार्यरत है।

याची नीलकमल जोशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/नीलकमल/2017

दिनांक-13-2-19

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर